फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 80/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.08.2019	(नीचे देखें)	

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी सकरू खां पुत्र कालु जाति भिश्ती निवासी न्यामा तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम न्यामा की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में नया खाता खंख्या 276 पुराना खाता संख्या 272 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में शंकर पुत्र कालु जाति भिश्ती निवासी न्यामा तहसील सुजानगढ दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम सकरू खां पुत्र कालु जाति भिश्ती निवासी न्यामा तहसील सुजानगढ है। वादी का नाम सकरू खां पुत्र कालु किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में वादी का नाम शंकर पुत्र कालु जाति भिश्ती निवासी न्यामा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र के अनुसार वादी का सही नाम सकरू खां पुत्र कालु जाति भिश्ती निवासी न्यामा तहसील सुजानगढ है, जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमा बन्दी सम्वत् 2076–2079 में नया खाता संख्या 276 पुराना खाता संख्या 272 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	न्यामा	276/272	शंकर पुत्र कालु जाति भिश्ती निवासी न्यामा	सकरू खां पुत्र कालु जाति भिश्ती निवासी न्यामा

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.8.19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Rems
90 19/00146